

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 33-ए/2016

संस्थित दिनांक :- 01/03/2016

01. किशोरीबाई पत्नी स्व.पूरन सिंह सिकरवार, उम्र 59 वर्ष।
निवासी :- ग्राम लोधे की पाली, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

----- वादी।

विरुद्ध

01. नरेश सिंह पुत्र जण्डेल सिंह सिकरवार, उम्र 41 वर्ष।
02. राजू सिंह पुत्र जण्डेल सिंह सिकरवार, उम्र 39 वर्ष
03. गजेन्द्र सिंह पुत्र जण्डेल सिंह सिकरवार, उम्र 36 वर्ष
04. उपेन्द्र सिंह पुत्र जण्डेल सिंह सिकरवार, उम्र 31 वर्ष
05. श्रीमती मनू पत्नी स्व.तहसीलदार, उम्र 36 वर्ष
06. कु.छाया पुत्री स्व.तहसीलदार सिंह, उम्र 15 वर्ष।
वादार्थ सरक्षक माँ श्रीमती मनू पत्नी स्व.तहसीलदार
निवासीगण : ग्राम लोधे की पाली, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)
07. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जिला-कलेक्टर भिण्ड।

----- प्रतिवादीगण।

// निर्णय //

{आज दिनांक :- 24/02/2018 को घोषित किया}

(01). वादी किशोरीबाई द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण नरेश सिंह एवं अन्य के विरुद्ध ग्राम लोधे की पाली स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1814 क्षेत्रफल 1.62 के 1/8 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.202, सर्वे क्रमांक 1051 क्षेत्रफल 0.62 के 1/8 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.07, सर्वे क्रमांक 312 क्षेत्रफल 0.52 के 1/4 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.13, सर्वे क्रमांक 340 क्षेत्रफल 0.39 के 1/2 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.195, सर्वे क्रमांक 818 क्षेत्रफल 1.54, सर्वे क्रमांक 819 क्षेत्रफल 1.42, सर्वे क्रमांक 823 क्षेत्रफल 1.26 के 03/16 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.73, सर्वे क्रमांक 326 क्षेत्रफल 0.04 के 1/2 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.02, सर्वे क्रमांक 350 क्षेत्रफल 0.30 के 1/2 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.15, सर्वे क्रमांक 450 क्षेत्रफल 0.61 के 1/8 भाग क्षेत्रफल 0.07, सर्वे क्रमांक 1108 क्षेत्रफल 0.96 के 1/8 भाग क्षेत्रफल 0.12, कुल क्षेत्रफल 9.30 हैक्टेयर स्थित ग्राम लोधे की पाली में से 1.70 हैक्टेयर अर्थात् 08 बीघा 10 विश्वा भूमि, के संदर्भ में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को निर्णय के आगे की कड़िकाओं में वादग्रस्त भूमि नाम से सम्बोधित किया गया है।

(02). प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों के सर्वे क्रमांक, उनके क्षेत्रफल एवं उनके ग्राम लोधे की पाली में स्थित होना, प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 वादी के पति पूरन सिंह के भाई जण्डेल सिंह के पुत्र होना, तथा प्रतिवादी क्रमांक 05 मनु का जण्डेल सिंह की पुत्री होना, प्रतिवादी क्रमांक 06 कुछाया का प्रतिवादी क्रमांक 05 मनु की पुत्री होना तथा मृतक पंचम सिंह का जण्डेल सिंह तथा पूरन सिंह के पिता होना प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा स्वीकृत एक तथ्य है। वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत व्यवहार वाद में राजीनामा डिक्री होना भी प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा स्वीकृत एक तथ्य है।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमियाँ संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है, जो कि वादी को उसके पति पूरन सिंह की मृत्यु के पश्चात् ससुर पंचम सिंह से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 वादी के पति पूरन सिंह के भाई जण्डेल सिंह के पुत्र है तथा प्रतिवादी क्रमांक 05 जण्डेल सिंह के मृत पुत्र तहसीलदार सिंह की पत्नी है और प्रतिवादी क्रमांक 06, प्रतिवादी क्रमांक 05 मनु एवं मृत तहसीलदार सिंह की पुत्री है। वादग्रस्त भूमि वादी को उसके ससुर पंचम सिंह की मृत्यु के पश्चात् उनके पूर्व मृत पुत्र अर्थात् वादी के पति पूरन सिंह की जीवित पत्नी के रूप में उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई। वादी के पति एवं पंचम सिंह के पुत्र पूरन सिंह की मृत्यु उसके पिता पंचम सिंह के जीवन काल में लगभग चालीस वर्ष पूर्व हो गई थी। वादी के पति की मृत्यु हो जाने के उपरांत ससुर पंचम सिंह एवं जेठ जण्डेल सिंह ने वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल करने का प्रयास किया, तब वादी ने एक व्यवहार वाद क्रमांक 112-ए/1978 ससुर पंचम सिंह एवं जेठ जण्डेल सिंह के विरुद्ध न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया, जो कि दिनांक : 02/07/1988 को राजीनामे के अनुसार निर्णीत हुआ और तदनुसार वादी का वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में नामांतरण किया गया। उक्त राजीनामा डिक्री के आधार पर वादी वादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी रही। किन्तु हस्तगत वाद के प्रतिवादीगण ने फर्जी वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादी से प्राप्त करने के लिए नामांतरण कार्यवाही तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के समक्ष प्रस्तुत की, जो कि प्रकरण क्रमांक 07/98-99/अ-06 पर पंजीबद्ध हुई, जिसमें दिनांक : 24/05/2000 को वादी को 1/2 भाग की भूमि स्वामी होना स्वीकार कर आदेशित किया गया। जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा एसडीओ गोहद के समक्ष अपील क्रमांक 17/99-2000/अपील माल प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायालय एसडीओ द्वारा दिनांक : 30/12/2000 को न्यायालय तहसीलदार का नामांतरण आदेश निरस्त कर पुनः गुण-दोषों के आधार पर नामांतरण हेतु कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई, जिसके विरुद्ध वादी द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष पुनरीक्षण क्रमांक 79/2000-2001 पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया, जिसमें पारित आदेश के अनुसार एसडीओ गोहद का आदेश दिनांक : 30/12/2000 निरस्त किया गया और न्यायालय

तहसीलदार गोहद का आदेश सही माना गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है।

(04). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के शेष अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि प्रतिवादीगण ने वादी को वाद प्रस्तुति दिनांक से छः माह पूर्व ग्राम लोधे की पाली से मारपीट कर भगा दिया और कहा कि वादग्रस्त भूमि हमारी है। तब वादी ने गांव के लोगों को एकत्रित कर कहा कि प्रतिवादीगण उसे उसके हिस्से की भूमि जोतने दे। दिनांक : 10/02/2016 को जब वादी वादग्रस्त भूमि पर अपनी फसल देखने गई तो प्रतिवादीगण ने उसे धमकी दी कि वह फसल नहीं काटने देंगे। तब वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह दू गोषित किया जाये कि वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1814 क्षेत्रफल 1.62 के 1/8 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.202, सर्वे क्रमांक 1051 क्षेत्रफल 0.62 के 1/8 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.07, सर्वे क्रमांक 312 क्षेत्रफल 0.52 के 1/4 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.13, सर्वे क्रमांक 340 क्षेत्रफल 0.39 के 1/2 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.195, सर्वे क्रमांक 818 क्षेत्रफल 1.54, सर्वे क्रमांक 819 क्षेत्रफल 1.42, सर्वे क्रमांक 823 क्षेत्रफल 1.26 के 03/16 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.73, सर्वे क्रमांक 326 क्षेत्रफल 0.04 के 1/2 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.02, सर्वे क्रमांक 350 क्षेत्रफल 0.30 के 1/2 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.15, सर्वे क्रमांक 450 क्षेत्रफल 0.61 के 1/8 भाग क्षेत्रफल 0.07, सर्वे क्रमांक 1108 क्षेत्रफल 0.96 के 1/8 भाग क्षेत्रफल 0.12, कुल क्षेत्रफल 9.30 हैक्टेयर स्थित ग्राम लोधे की पाली में से 1.70 हैक्टेयर अर्थात् 08 बीघा 10 विश्वा भूमि की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। वादी द्वारा यह भी अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेधित किया जाये कि वह वादग्रस्त भूमि में वादी के कृषि कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना करें।

(05). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 की सामलाती पुस्तैनी सम्पत्ति है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 स्वामी की हैसियत में आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भूमि पर वादी ने कभी खेती नहीं की, ना ही उसका वादग्रस्त भूमि पर कोई आधिपत्य है। जब वादी किशोरी के पति पूरन सिंह की मृत्यु हुई थी, तब वादग्रस्त भूमि में से कोई भूमि पूरन सिंह के नाम पर नहीं थी, बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के पितामह तथा पूरन सिंह के पिता अर्थात् वादी के ससुर पंचम सिंह के नाम थी और वही सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्यधारी थे। वादी के ससुर पंचम सिंह उनके जीवन काल में उनकी भूमियों की व्यवस्था वसीयतनामा दिनांक : 25/07/1994 के माध्यम से कर गये थे। उसी व्यवस्था के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्यधारी

होकर कृषि कार्यरत है और उनके द्वारा वादी की हर प्रकार से देखरेख एवं भरण-पोषण की जा रही है, उसी व्यवस्था के अनुसार वादी के कहने पर प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 ने ग्वालियर में एक भू-खण्ड पर वादी को मकान बनवाकर दिया है, जिसमें वादी निवास कर रही है, लेकिन वादी वादग्रस्त भूमि अपने भाईयों के पुत्रों को देना चाहती है, अथवा विक्रय करना चाहती है, जबकि उसे वादग्रस्त भूमि विक्रय करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिवादीगण उसकी हर प्रकार से देखरेख कर रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को ग्राम लोधे की पाली से कभी नहीं भगाया गया, वह स्वेच्छया ग्वालियर में निवास कर रही है। दिनांक : 10/02/2016 को वादी-प्रतिवादीगण के मध्य कभी कोई बातचीत नहीं हुई। फलतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

(06). प्रतिवादी क्रमांक 07 म.प्र.राज्य पर समन की सम्यक् तामील के उपरांत भी उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ और उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

(07). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक :- 20/07/2017 को वाद-प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवचेना के उपरांत निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी ग्राम लोधे की पाली स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1814 क्षेत्रफल 1.62 के 1/8 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.202, सर्वे क्रमांक 1051 क्षेत्रफल 0.62 के 1/8 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.07, सर्वे क्रमांक 312 क्षेत्रफल 0.52 के 1/4 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.13, सर्वे क्रमांक 340 क्षेत्रफल 0.39 के 1/2 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.195, सर्वे क्रमांक 818 क्षेत्रफल 1.54, सर्वे क्रमांक 819 क्षेत्रफल 1.42, सर्वे क्रमांक 823 क्षेत्रफल 1.26 के 03/16 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.73, सर्वे क्रमांक 326 क्षेत्रफल 0.04 के 1/2 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.02, सर्वे क्रमांक 350 क्षेत्रफल 0.30 के 1/2 भाग अर्थात् क्षेत्रफल 0.15, सर्वे क्रमांक 450 क्षेत्रफल 0.61 के 1/8 भाग क्षेत्रफल 0.07, सर्वे क्रमांक 1108 क्षेत्रफल 0.96 के 1/8 भाग क्षेत्रफल 0.12, कुल क्षेत्रफल 9.30 हैक्टेयर स्थित ग्राम लोधे की पाली में से 1.70 हैक्टेयर अर्थात् 08 बीघा 10 विश्वा भूमि, की सहस्वामी एवं सहआधिपत्यधारी है?	“आंशिक रूप से प्रमाणित”
02.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादग्रस्त भूमि में वादी के सहआधिपत्य से बेदखल करने का प्रयास कर एवं उसे फसल काटने से रोककर वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के विधिक अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है?	“प्रमाणित”

03. क्या वादी द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है? **“प्रमाणित”**
04. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय? वाद निर्णय के पद कं. 17 के अनुसार आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने से आज्ञाप्त किया गया।

// निष्कर्ष एवं आधार //

वाद प्रश्न क्रमांक : 01

(08). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी किशोरीबाई वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी संदीप सिंह वा.सा.02 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। वादी ने उसके वाद के समर्थन में वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 818, 819 एवं 823 की वर्ष 2017-18 की किस्तबंद खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.01, जो कि चार पृष्ठों में है, वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 312 की वर्ष 2017-2018 की किस्तबंद खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.02 है, जो कि दो पृष्ठों में है, सर्वे क्रमांक 1051 की वर्ष 2017-2018 की किस्तबंद खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 है, जो कि तीन पृष्ठों में है एवं सर्वे क्रमांक 340 का वर्ष 2017-18 की खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.04 प्रस्तुत किया है।

(09). वादी किशोरीबाई की ओर से मूलरूप से यह वाद वादग्रस्त भूमियों को उसके ससुर पंचम सिंह की सम्पत्तियाँ होना दर्शित करते हुये और स्वयं को पंचम सिंह के दो पुत्रों जण्डेल सिंह एवं पूरन सिंह में से, पंचम सिंह के जीवन काल में मृत पुत्र पूरन सिंह की निःसंतान पत्नी होने के नाते पूरन सिंह की एक मात्र उत्तराधिकारी होने के आधार पर वादग्रस्त भूमियों के आधे भाग की स्वामी होना दर्शित करते हुये प्रस्तुत किया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा मूलरूप से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि वादग्रस्त भूमियाँ उसके मूलस्वामी पंचम सिंह द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 एवं प्रतिवादी क्रमांक 06 के पिता अर्थात् पंचम सिंह के पुत्र जण्डेल सिंह के पुत्र स्व.तहसीलदार सिंह के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक : 25/07/1994 के माध्यम से प्रतिवादीगण को वसीयत कर दी गई थी। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई वसीयतनामा दिनांक : 25/07/1994 प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि प्रतिवादीगण की ओर से पंचम सिंह द्वारा निष्पादित एक अन्य वसीयतनामा दिनांक : 05/10/1987 प्र.डी.01 प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से मृतक पंचम सिंह द्वारा वादग्रस्त भूमियों से इतर कुछ भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 एवं मृतक तहसीलदार सिंह के पक्ष में वसीयत की गई होना दर्शित होता है। यद्यपि प्रतिवादीगण की ओर से उक्त वसीयतनामा दिनांक :

05/10/1987 प्र.डी.01 को उसके निष्पादन साक्षीगण में से किसी एक को प्रस्तुत कर धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया है। चूँकि प्रतिवादीगण द्वारा उनके अभिवचनों एवं साक्ष्य में इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं किया गया है कि वादी किशोरीबाई उनके पितामह पंचम सिंह के पूर्व मृत पुत्र पूरन सिंह की निःसंतान पत्नी है। इसलिए यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि वादी किशोरीबाई मृतक पंचम सिंह के जीवन काल में मृत पुत्र पूरन सिंह की निःसंतान पत्नी होने के कारण मृतक पूरन सिंह की एकमेव उत्तराधिकारी है।

(10). प्रतिवादीगण द्वारा उनके अभिवचनों एवं साक्ष्य में इस तथ्य से भी कोई इन्कार नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमियाँ मृतक पंचम सिंह की सम्पत्तियाँ थी। बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 01 नरेश प्रति.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में यह दर्शित किया है कि वादग्रस्त भूमि उसके पितामह पंचम सिंह पर उनके पिता गुलाब सिंह से आई थी और प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में यह दर्शित किया है कि पितामह पंचम सिंह से प्राप्त वादग्रस्त भूमियों में साक्षी के पिता जण्डेल सिंह एवं चाचा पूरन सिंह अर्थात् वादी किशोरीबाई के पति स्वामी एवं हिस्सेदार है। प्रतिवादी क्रमांक 01 नरेश प्रति.सा.01 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में वादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि आधी उसके पिता जण्डेल सिंह एवं आधी वादी किशोरीबाई के नाम है। प्रतिवादीगण द्वारा उनके अभिवचनों एवं साक्ष्य में यह भी दर्शित किया गया है कि मृतक पंचम सिंह द्वारा उसकी सम्पत्तियों की वसीयत प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 एवं उनके भाई मृतक तहसीलदार सिंह के पक्ष में निष्पादित की गई थी। चूँकि प्रतिवादीगण मृतक पंचम सिंह द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक : 25/07/1994 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने एवं वसीयतनामा दिनांक : 05/10/1987 प्र.डी.01 को उपरोक्त विवेचना के अनुसार विधिपूर्वक प्रमाणित करने में असफल रहे हैं, इसलिए मृतक पंचम सिंह की निर्वसीयती मृत्यु के पश्चात् वादी किशोरीबाई मृतक पंचम सिंह द्वारा उसके मृत्यु के समय छोड़ी गई किन्हीं सम्पत्तियों के संबंध में मृतक पंचम सिंह के जीवन काल में मृत पुत्र पूरन सिंह की निःसंतान पत्नी होने के कारण मृतक पंचम सिंह की सम्पत्तियों की अन्य उत्तराधिकारियों के साथ समान भाग की उत्तराधिकारी है। यद्यपि वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह दर्शित होता हो कि उसके ससुर पंचम सिंह द्वारा उसकी मृत्यु के समय कौन-कौन सी सम्पत्तियाँ छोड़ी गई थी। वादी की ओर से ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें उसके ससुर मृतक पंचम सिंह का नाम वादग्रस्त भूमियों के स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में अंकित हो।

(11). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में वादी किशोरीबाई वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके ससुर पंचम सिंह ने उनके जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि की वसीयत कर दी थी और साढ़े

तीन बीघा भूमि उसे दी थी और शेष भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 को दी थी। यद्यपि वादी अथवा प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके माध्यम से पंचम सिंह द्वारा साढ़े तीन बीघा भूमि वादी किशोरीबाई को प्रदान की गई हो एवं शेष वादग्रस्त भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 एवं उनके भाई मृतक तहसीलदार सिंह को प्रदान की गई हो। प्रतिवादी क्रमांक 01 नरेश प्रति.सा.01 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में यह दर्शित किया है कि उसकी चाची वादी किशोरीबाई ने उसके पितामह पंचम सिंह के जीवनकाल में पंचम सिंह से मुकदमा लड़ा था, जिसमें किशोरीबाई ने अपना हिस्सा मांगा, तो पंचम सिंह ने उन्हें साढ़े तीन बीघा भूमि स्थित ग्राम लोधे की पाली हिस्से में दी थी और शेष भूमि जण्डेल सिंह के लड़को अर्थात् साक्षी नरेश एवं उसके भाईयों को दी थी। वादी अथवा प्रतिवादीगण की ओर से वादी किशोरीबाई द्वारा उसके ससुर पंचम सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत ऐसे किसी व्यवहार वाद में हुये राजीनामा अथवा किसी अन्य निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके माध्यम से पंचम सिंह द्वारा वादी किशोरीबाई को मात्र साढ़े तीन बीघा भूमि प्रदान की गई हो और शेष भूमि प्रतिवादीगण को प्रदान की गई हो।

(12). वादी ने वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 818 क्षेत्रफल 1.540 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 819 क्षेत्रफल 1.420 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 823 क्षेत्रफल 1.280 हैक्टेयर की वर्ष 2017-18 की किस्तबंद खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.01 प्रस्तुत की है, जिसमें वादी को उक्त वादग्रस्त भूमियों के 3/16 भाग की स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना दर्शित किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 312 क्षेत्रफल 0.520 हैक्टेयर की वर्ष 2017-2018 की किस्तबंद खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.02 में वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग की स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना दर्शित किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत सर्वे क्रमांक 1051 क्षेत्रफल 0.620 की वर्ष 2017-2018 की किस्तबंद खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 में वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/8 भाग की स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना दर्शित किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत सर्वे क्रमांक 340 क्षेत्रफल 0.390 हैक्टेयर का वर्ष 2017-18 की खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.04 में वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग की स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना दर्शित किया गया है। धारा 117 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में यह प्रावधान है कि जब तक तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाये, तब तक राजस्व अभिलेखों अर्थात् खसरा एवं खतौनी की प्रविष्टियों को सही माना जायेगा। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.पी.01 लगायत प्र.पी.04 की प्रविष्टियों की सत्यता को खण्डित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी दशा में वादी की ओर से प्रस्तुत खसरे एवं खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.01 लगायत प्र.पी.04 की प्रविष्टियों के सही होने की उपधारणा करते हुये वादी को उक्त प्रमाणित प्रतिलिपियों में उल्लेखित सर्वे क्रमांकों एवं उसमें उल्लेखित वादी के हिस्से के क्षेत्रफल की स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित पाता हूँ। वादी की ओर से

शेष वादग्रस्त भूमियों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा-खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए शेष वादग्रस्त भूमियों के संबंध में वादी को स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित नहीं पाता है।

(13). इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी यह प्रमाणित करने में आंशिक रूप से सफल रही हैं कि वह वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 818 क्षेत्रफल 1.540 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 819 क्षेत्रफल 1.420 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 823 क्षेत्रफल 1.280 हैक्टेयर के 3/16 भाग, वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 312 क्षेत्रफल 0.520 हैक्टेयर के 1/4 भाग, सर्वे क्रमांक 1051 क्षेत्रफल 0.620 के 1/8 भाग एवं सर्वे क्रमांक 340 क्षेत्रफल 0.390 हैक्टेयर के 1/2 भाग की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। शेष वादग्रस्त भूमियों पर उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य को प्रमाणित करने में वादी असफल रही है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “आंशिक रूप से प्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 02

(14). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी किशोरीबाई वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी संदीप सिंह वा.सा.02 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 10 में वादी किशोरीबाई वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रतिवादीगण ने उसे कभी कोई धमकी नहीं दी। साक्षी का यह भी कहना है कि प्रतिवादीगण ने उसे कई बार धमकी दी है, लेकिन धमकी देने की दिनांक उसे याद नहीं है। इस प्रकार इस वाद प्रश्न के संबंध में वादी किशोरी वा.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी अखण्डित रहा है।

(15). इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी यह प्रमाणित करने में सफल रही है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादग्रस्त भूमि में वादी के सहआधिपत्य से बेदखल करने का प्रयास कर एवं उसे फसल काटने से रोककर वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के विधिक अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 03

(16). हस्तगत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत प्रस्तुत किया गया है। स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के वाद में वाद मूल्यांकन का सिद्धान्त धारा :- 7 (iv) C न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपबंधित है

जिसके अनुसार वादी को उसके द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता है तथा उसे किये गये मूल्यांकन पर मूल्यानुसार न्यायशुल्क अदा करना होता है। वादी द्वारा अनुतोष का कुल मूल्यांकन 1300/- रुपये निर्धारित किया गया है तथा मूल्यानुसार 560/- रुपये न्याय शुल्क अदा किया गया है, जो कि पर्याप्त एवं उचित है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष "प्रमाणित" के रूप में विनिश्चित किया जाता है।

{अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय}

(17). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी किशोरीबाई उसका वाद आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रही है कि इसलिए उसका वाद अग्रानुसार अज्ञाप्त किया जाता है :-

(01). यह घोषित किया जाता है कि वादी किशोरीबाई वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 818 क्षेत्रफल 1.540 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 819 क्षेत्रफल 1.420 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 823 क्षेत्रफल 1.280 हैक्टेयर के 3/16 भाग, वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 312 क्षेत्रफल 0.520 हैक्टेयर के 1/4 भाग, सर्वे क्रमांक 1051 क्षेत्रफल 0.620 के 1/8 भाग एवं सर्वे क्रमांक 340 क्षेत्रफल 0.390 हैक्टेयर के 1/2 भाग की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है एवं शेष वादग्रस्त भूमियों के संबंध में वादी का वाद प्रमाणाभाव में निरस्त किया जाता है।

(02). प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 को स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि में वादी के सहआधिपत्य से बेदखल करने का प्रयास कर एवं उसे फसल काटने से रोककर वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के विधिक अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप ना करें।

(03). उभय पक्ष अपना-अपना वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(04). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।

(05). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.